637

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	9263c3917f19cc62138d
Receipt Date :	20-Sep-2022 12:29:01 pm
Receipt Amount :	14400/-
Amount In Words :	Fourteen Thousands Four Hundred Rupees Only
Token Number :	20220000113452
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	PRAMOD BARA (Vendee)
GRN Number :	2213578039

-: For Office Use :-

10.29

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्ण मु०

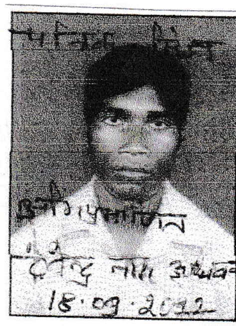

[illegible] 1899 की [illegible]

Fee Paid 10800/
A1 ....
Land Lord Fee 03/
Process Fee 01/

Valuation Per Decimals
Land 60,000/

17.10.22

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

पत्रिक मिंज 18/9/2022

विकय पत्र

परमिशन वाद संख्या 603 / 2021–22 आदेश दिनांक 14.09.2022

(1) **लेख्यकारीः**– श्री पत्रिक मिंज उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 मिखाईल मिंज, दादा स्व0 इलियस उरॉव, श्रेणी– अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आते हैं), पेशा– खेती गृहस्थी, निवास ग्राम– गोतरा कुबीटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा, राज्य– झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 6200967891 आधार संख्या XXXX XXXX 3249

... बिकेता ।

शपथ–पत्र संख्याः– 134/2022

होल्डिंग नं0 0050000667000 एम. 0

मार्ग दर्शिका पंजी से

(2) **लेख्यधारीः**— श्री प्रमोद बाड़ा उम्र 42 वर्ष, पिता ओस्कार बाड़ा, दादा स्व0 देले उरॉव, श्रेणी— अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आते हैं) पेशा— खेती गृहस्थी, निवास ग्राम— तुमडेगी, थाना— सिमडेगा, जिला— सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक, मो0 नं0 8969188134 आधार संख्या XXXX XXXX 2132

.... केता ।

शपथ—पत्र संख्याः— 435/2022

(3) **लेख्यप्रकारः**— विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) **मूल्यः**— मोबलिग तीन लाख साठ हजार ~~पॉच~~ सौ रूपये अंके 3,60,000/— रूपये होता है ।

(5) **सम्पतिः**— संरचना रहित आवासीय जमीन एराजियात अन्दर मौजा— गोतरा डिप्टीटोली, वार्ड नं0 05, थाना— सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला— सिमडेगा के खाता नं0 256 (दो सौ छप्पन) प्लॉट नं0 5209 (बावन सौ नौ) रकबा 1.12 एकड़ में से 0.04 एकड़ (चार डिसमिल) वो प्लॉट नं0 5210 (बावन सौ दस) रकबा 1.43 एकड़ में से 0.02 एकड़ (दो डिसमिल) कुल एक खाता के दो प्लॉटों का जुमला रकबा 0.06 एकड़ (छः डिसमिल आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है, और न ही पेड़ पौधा है । जमीन का जुमला माप— उत्तरी भुजा 39 फीट, दक्षिणी भुजा 39 फीट, पूरबी भुजा 67 फीट, पश्चिमी भुजा 67 फीट है ।

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	256	5209	0.04 एकड़
गोतरा	सिमडेगा	80	256	5210	0.02 एकड़

18/9/2022

18/9/2022

जिसकी जुमला चौहद्दीः–

उत्तरः– कच्चा रास्ता 12 फीट चौड़ा नीज बिक्रेता (अन्य सड़क),

दक्षिणः– मकान घेरा खरीदगी,

पूरब :– दोन नीज बिक्रेता,

पश्चिमः– दोन प्लॉट नं0 5209 का अंश खरीदगी ।

मालगुजारी 10 पैसा (दस पैसा) अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री, दान, बंधक, लीज, एकरारनामा नहीं किया हूँ ।

चुँकि मुझ लेख्यकारी को इस समय मकान बनाने एवं आवश्यक घरेलू खर्च हेतु रूपये की अति आवश्यक्ता है किन्तु रूपये पाने का कोई भिन्न उपाय नहीं है सिवाय जमीन रैयती बेचने के । फलतः मैंने उपरोक्त लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने का आग्रह किया और उन्होंने जमीन लेना स्वीकार किया । किन्तु हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, फलतः मैंने जमीन बेचने की अनुमति हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के अदालत में अन्दर दफा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया । जिसका सी.एन.टी. नं0 603/2021–22 है । तद्नुसार मेमो नं0 648 (II) रेवेन्यु दिनांक 14.09.2022 ई0 को जमीन बेचने का अनुमति प्राप्त हुआ । मैंने वर्णित मूल्य नगद वसूल वो अदाय पाकर अपनी मन इच्छा वो शरीर की स्वस्थता में रहकर यह रहकर यह विक्रय पत्र केवाला लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

पातिक मिंज
18/9/2022

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद हक एवं दखल कब्जा है तथा किसी प्रकार का कोई भार या झगड़ा झंझट नहीं है । वर्णित जमीन के खतियानी रैयत सुखनाथ उरॉव वो बुधु उरॉव वो बन्धु उरॉव वो बिरसा उरॉव पेशरान कोका उरॉव हैं । खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है । वर्तमान जमाबंदीदार चम्पु उराईन वगैरह के नाम से दर्ज है । तथा सरकारी मालगुजारी रसीद चम्पु उराईन के नाम से

कटती है जो पंजी ।। के भोल्युम नं0 2 पेज नं0 103 में दर्ज है । बिक्रेता जमाबन्दीदार चम्पु उराईन का परपोता है । अब से उक्त जमीन का सारा हक लेख्यधारिणी को हस्तान्तरित कर दिया । अब इसपर मेरा किसी प्रकार का कोई हक सरोकार न रहा न रहेगा न ही मेरे किसी भी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर दखलकार होकर वो रहकर जैसा उन्हें सुविधा हो आबाद करें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जमीन्दारी सिरिस्ते से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर खास रसीद लिया करें ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लिज, भु-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भूमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/- प्रतिक मिंज
18/9/2022

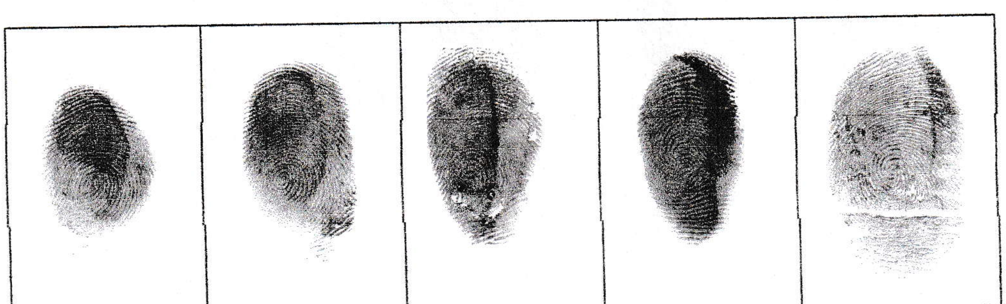

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

देवेन्द्र नाग

प्रतिक मिंज
18/9/2022

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/- प्रमोद लकड़ा
18/9/2022

18.09.2022

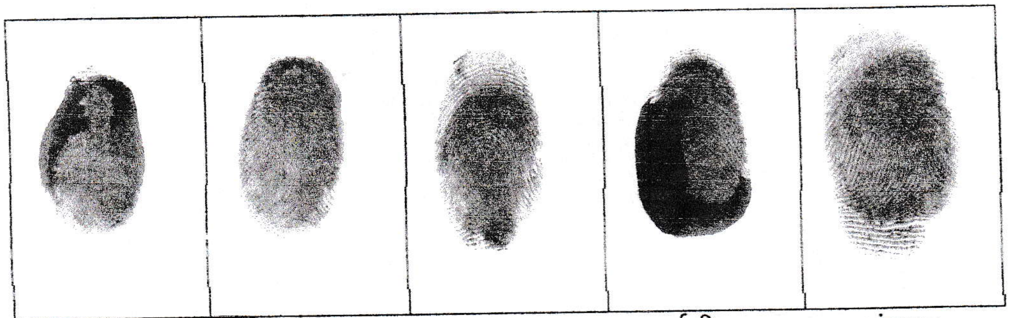

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता के बांए हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

देवेन्द्र नाग
अधिवक्ता
18.9.2022

पुलिक मिंज
18/9/2022

पहचानकर्त्ता का सही/- निमन लकड़ा
18/9/2022

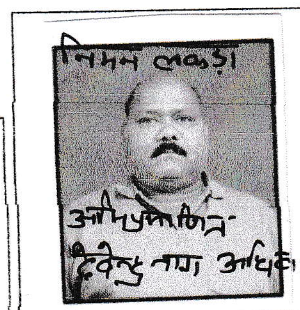

18.09.2022

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचान गवाह के बांए हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

देवेन्द्र नाग
अधिवक्ता
18.9.2022

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/— Adv. N/g.

प्रारूपकर्त्ता Adv.

18.09.2022

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद 18-9-2022

मो0 मकसुद

कचहरी परिसर,सिमडेगा ।

प्रतिक मिंज 18/9/2022

संलग्नकः—

1. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
2. खतियान का छायाप्रति,
3. शेड्युल का मूल प्रति,
4. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
5. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
6. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

प्रतिक मिंज

17/10/22